

1.a स्वराज पार्टी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान स्पष्ट कीजिए

भूमिका

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल जनआंदोलनों और अहिंसात्मक संघर्षों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से भी अंग्रेजी शासन को चुनौती दी गई। स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना 1923 में हुई, एक ऐसा ही प्रयास था — जिसने औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर रहकर वैधानिक विरोध का मार्ग अपनाया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की।

स्थापना की पृष्ठभूमि

चौरी-चौरा कांड (1922) के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी से कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुए। एक पक्ष, जिसे 'नो-चेंजर्स' कहा गया (जैसे राजेंद्र प्रसाद, पटेल, राजगोपालाचारी), आंदोलन की रणनीति को जारी रखना चाहता था। दूसरा पक्ष, जिसे 'प्रो-चेंजर्स' कहा गया (जैसे चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू), का मानना था कि अंग्रेजी सरकार को विधान परिषदों के भीतर से बाधित किया जाए। गया अधिवेशन (1922) में चितरंजन दास ने विधायिकाओं में भाग लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके फलस्वरूप, 1 जनवरी 1923 को 'कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी' (Swaraj Party) की स्थापना हुई।

अध्यक्ष: चितरंजन दास

सचिव: मोतीलाल नेहरू

अन्य प्रमुख नेता: विठ्ठलभाई पटेल, एनसी केलकर, सुहरावर्दी, सुभाष चंद्र बोस

स्वराज पार्टी के उद्देश्य

डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना

भारतीयों को संविधान निर्माण का अधिकार दिलाना

प्रशासनिक तंत्र पर भारतीय नियंत्रण सुनिश्चित करना

प्रांतीय स्वायत्तता का विस्तार

स्वराज की स्थापना

सरकारी मशीनरी पर जन-नियंत्रण स्थापित करना

श्रमिकों व किसानों के हितों की रक्षा

स्थानीय निकायों पर स्वदेशी प्रभाव

विदेशों में भारत का प्रचार और समर्थन प्राप्त करना

एशियाई देशों के साथ व्यापारिक सहयोग स्थापित करना

स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज पार्टी का योगदान

विधान परिषदों में विरोध का मंच: 1923 के चुनावों में पार्टी ने 104 में से 42 सीटें जीतकर केंद्रीय विधानसभा में प्रभावी उपस्थिति दर्ज की। पार्टी का उद्देश्य था — सरकार के हर प्रस्ताव का विरोध करके संसदीय गतिरोध उत्पन्न करना।

प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व: 1925 में विठ्ठलभाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने, जो भारतीय नेतृत्व की स्वीकृति का प्रतीक था। पार्टी के नेताओं ने बजट प्रस्तावों में सरकार को बार-बार पराजित किया। प्रभावशाली संवैधानिक विरोध: 1928 में 'पब्लिक सेफ्टी बिल' को असेंबली में विफल करना पार्टी की ऐतिहासिक उपलब्धि रही। इन विधायी प्रयासों के माध्यम से स्वराजवादियों ने मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की सीमाओं को उजागर किया।

वैचारिक सामंजस्य का प्रयास: यद्यपि गांधी जी और स्वराजवादी अलग राह पर थे, परंतु दोनों पक्षों ने एकता बनाकर सरकार पर दबाव बनाए रखने की रणनीति अपनाई। स्वराजवादी कांग्रेस के भीतर एक स्वतंत्र समूह के रूप में कार्य करते रहे।

सीमाएँ और पतन के कारण

जनांदोलनों से असंलग्नता: पार्टी जन आंदोलन से समन्वय स्थापित नहीं कर पाई, जिससे जमीनी समर्थन कमजोर रहा। अत्यधिक प्रेस पर निर्भरता: असेंबली में उनके विचार और संदेश जनता तक मुख्यतः अखबारों के माध्यम से पहुंचे, जो सीमित था।

सत्ता के आकर्षण में समझौता: कुछ नेता जैसे मोतीलाल नेहरू (Skeen समिति) और रामास्वामी अयंगर (Public Accounts Committee) सत्ता से प्रभावित हुए।

विरोध की नीति की सीमाएं: Obstructionism (विरोध के लिए विरोध) की नीति हमेशा प्रभावशाली नहीं रही — इससे पार्टी की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगा।

चितरंजन दास की मृत्यु (1925): संगठनात्मक और वैचारिक नेतृत्व में शून्यता उत्पन्न हुई।

आंतरिक मतभेद: पार्टी 'रिस्पॉन्सिविस्ट' और 'नॉन-रिस्पॉन्सिविस्ट' गुटों में बँट गई।

रिस्पॉन्सिविस्ट (मालवीय, लाजपत राय) सरकार से सहयोग के पक्षधर थे

नॉन-रिस्पॉन्सिविस्ट (मोतीलाल नेहरू) पूर्ण असहयोग के पक्ष में

किसान वर्ग की उपेक्षा: बंगाल में किसानों के मुद्दों को अनदेखा करने से जनसमर्थन में गिरावट आई।

1926 के चुनावों में गिरता प्रदर्शन: आंतरिक कमजोरी और जनसमर्थन की कमी से पार्टी बिखर गई।

1935 में कांग्रेस में विलय: संविधान अधिनियम के बाद पार्टी ने कांग्रेस में पुनः सम्मिलित होने का निर्णय लिया।

निष्कर्ष

स्वराज पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई वैधानिक दिशा दी, जहाँ अंग्रेज़ी सत्ता को उसकी ही स्थापित संस्थाओं के भीतर चुनौती दी गई। यद्यपि पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती में सीमाएं थीं, परंतु इसने स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक एवं संसदीय परंपरा की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पार्टी संवैधानिक राष्ट्रवाद और वैधानिक राजनीति के उभरते स्वरूप की प्रतीक रही।

b. रॉलेट एक्ट (1919) का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विशेषकर क्रांतिकारी आंदोलन पर प्रभाव

भूमिका

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय जनता को यह आशा थी कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। किंतु इसके विपरीत, अंग्रेजों ने भारत रक्षा अधिनियम जैसी अस्थायी युद्धकालीन दमनात्मक नीति को स्थायी रूप देने हेतु रॉलेट एक्ट 1919 लागू किया। यह अधिनियम नागरिक स्वतंत्रताओं का घोर उल्लंघन था, जिसके विरोध में उठी जनक्रांति ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा, चेतना और क्रांतिकारी तेवर प्रदान किए।

रॉलेट एक्ट की पृष्ठभूमि

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में उभरती राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम लागू किया था। युद्ध के अंत के बाद इस अस्थायी कानून को समाप्त करने की अपेक्षा थी, लेकिन सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में गठित 'राजद्रोह समिति' ने इसे स्थायी बनाए रखने की सिफारिश की। परिणामस्वरूप मार्च 1919 में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। भारतीयों ने इसे वादा खिलाफी और विश्वासघात के रूप में देखा क्योंकि युद्ध के दौरान समर्थन के बदले राजनीतिक सुधारों का वादा किया गया था, लेकिन उसकी जगह और भी दमनकारी कानून थोपे गए।

रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान

बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर दो वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था
गोपनीय सुनवाई और बिना जमानत गिरफ्तारी का प्रावधान था

प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए
सभा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई

जनता की प्रतिक्रिया

देशभर में इस अधिनियम का तीव्र विरोध हुआ। इसे काला कानून कहा गया और महात्मा गांधी ने इसे "न्याय का गला घोटने वाला अधिनियम" कहा। पूरे भारत में हड़तालें, सभाएं और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए। गांधीजी के नेतृत्व में 'रॉलेट सत्याग्रह' प्रारंभ हुआ, जो देशव्यापी जन-आंदोलन बना।

क्रांतिकारी आंदोलन पर प्रभाव

रॉलेट एक्ट ने युवाओं में गहरा असंतोष पैदा किया और क्रांतिकारी संगठनों की सक्रियता में वृद्धि हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) जैसे संगठनों की गतिविधियां तेज़ हुईं। अहिंसात्मक तरीकों से बदलाव की संभावनाओं से निराश होकर अनेक युवा हिंसात्मक मार्ग अपनाने की ओर उन्मुख हुए। इस अधिनियम के विरोध में अमृतसर में आयोजित सभा पर जनरल डायर द्वारा की गई गोलीबारी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, पूरे देश को झकझोरने वाली घटना बनी। इस हत्याकांड ने क्रांतिकारी आंदोलन को और अधिक उग्र व सशक्त बना दिया और यह प्रतिशोध की भावना का एक प्रेरक बिंदु बन गया।

महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन ने जनता को राजनीतिक भागीदारी का अहसास कराया। हालांकि चौरी-चौरा की हिंसा के बाद गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया, परंतु इसी के साथ अनेक युवाओं ने क्रांतिकारी मार्ग को अपनाया। पहली बार देश में नैतिक प्रतिरोध की नींव पड़ी, जहाँ अन्यायपूर्ण कानूनों को सविनय अवज्ञा और अहिंसा से चुनौती दी गई।

रॉलेट एक्ट के विरोध में समाज के विभिन्न वर्गों की एकजुटता ने क्रांतिकारी आंदोलन को वैचारिक और सामाजिक समर्थन दिया। धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर भारतीय समाज एकजुट हुआ, जिससे राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस अधिनियम और उससे उपजे दमन की निंदा हुई, जिससे ब्रिटिश शासन की वैधता को आघात पहुंचा।

निष्कर्ष

रॉलेट एक्ट ने स्वतंत्रता आंदोलन को जनांदोलन में परिवर्तित कर दिया। इसने देश में नैतिक साहस, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक परिपक्वता को जन्म दिया। यह आंदोलन मात्र एक कानून के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने स्वराज की स्पष्ट मांग और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की नींव रखी। यद्यपि गांधीजी ने इस आंदोलन को "हिमालयी भूल" कहा, परंतु यह भूल स्वतंत्रता संग्राम के नए स्वरूप और नवचेतना की शुरुआत साबित हुई।

c. भारत सरकार अधिनियम, 1935: एक विस्तृत विश्लेषण

भूमिका

"भारत सरकार अधिनियम, 1935" भारतीय उपनिवेशी शासन के इतिहास में एक निर्णायक बिंदु था, जिसे ब्रिटिश सत्ता ने राजनीतिक सुधारों की पराकाष्ठा तो कहा, पर भारतीय नेताओं ने इसे आत्मनिर्णय की आकांक्षाओं का अपमान बताया। यह अधिनियम 1919 के अधिनियम की असफलताओं, साइमन कमीशन (1927) की रिपोर्ट और 1930-32 के गोलमेज सम्मेलनों के चर्चाओं के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। इसकी जटिल संरचना और दमनकारी प्रावधानों के बावजूद, इसने भारतीय प्रशासनिक ढाँचे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संस्थागत आधार प्रदान किया।

पृष्ठभूमि

- **1919 अधिनियम की सीमाएँ:** 1919 के अधिनियम में निहित कमजोरियों और भारतीय नेताओं की असंतुष्टि ने नए सुधारों की मांग को जन्म दिया।
- **साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलनों:** साइमन कमीशन की सिफारिशें एवं गोलमेज सम्मेलनों में हुई चर्चाओं ने अधिनियम का मसौदा तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई।
- **विस्तृत संरचना:** ब्रिटिश संसद ने 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ यह अधिनियम पारित किया, जो अपने समय तक का सबसे विस्तृत कानूनी दस्तावेज था।

प्रमुख प्रावधान

1. संघीय ढाँचा:

- अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतें शामिल थीं।
- आवश्यक संख्या में रियासतों की सहमति न मिलने के कारण प्रस्तावित संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सका।

2. प्रांतीय स्वायत्तता:

- प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई।
- प्रांतीय मंत्रिपरिषद् विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहीं, परंतु गवर्नर के पास विशेषाधिकार बने रहे।

3. केंद्र में द्वैध शासन:

- केंद्र में 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' विषयों के विभाजन के साथ द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई।
- गवर्नर-जनरल को महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषाधिकार और विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गईं।

4. विधायिका का द्विसदनीय ढाँचा:

- **संघीय विधानसभा:** पाँच वर्ष का कार्यकाल।
- **राज्य परिषद:** स्थायी निकाय।

5. विषयों का त्रिस्तरीय विभाजन:

- **संघीय सूची (59 विषय), प्रांतीय सूची (54 विषय) और समवर्ती सूची (36 विषय)** में विषयों का वर्गीकरण।

6. मताधिकार का विस्तार:

- लगभग 14% वयस्क आबादी को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, जो पहले की तुलना में अधिक था।

7. संघीय न्यायालय की स्थापना:

- केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों के निपटारे हेतु संघीय न्यायालय का प्रावधान।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):

- 1935 में आरबीआई की स्थापना का प्रावधान, जो भारतीय मौद्रिक प्रणाली का स्तम्भ बना।

9. लोक सेवा आयोग:

- संघीय, प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान।

आलोचना

- **सांप्रदायिक आधार का संस्थागतरण:**
अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों को स्थान देने से हिंदू-मुस्लिम एकता को हानि पहुँची।
- **गवर्नर एवं गवर्नर-जनरल की तानाशाही शक्तियाँ:**
गवर्नरों को निलंबन, अध्यादेश जारी करने और कानून अस्वीकारने का अधिकार होने से असली शक्ति केंद्र में ही बनी रही।
- **संघीय ढाँचा का अव्यावहारिक पहलू:**
भारतीय रियासतों की स्वैच्छिक भागीदारी के कारण प्रस्तावित संघ कभी साकार नहीं हो पाया।
- **सीमित मताधिकार एवं प्रतिनिधित्व:**
केवल 14% वयस्क आबादी का मतदान अधिकार, जो धन, शिक्षा और सामाजिक हैसियत के आधार पर उपेक्षित वर्गों को छोड़ देता था।
- **केंद्र में द्वैध शासन:**
केंद्र में भी उसी प्रकार की द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई, जो पहले ही असफल साबित हो चुकी थी।

प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं और दलों की प्रतिक्रियाएँ

- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस:**
कांग्रेस ने अधिनियम को "निष्ठुर, प्रतिक्रियावादी और गुलामी को बनाए रखने वाला दस्तावेज़" बताया।
 - **जवाहरलाल नेहरू:** "यह अधिनियम एक मरे हुए ढाँचे की तरह है, जो केवल अंग्रेजी राज की इच्छाओं को पोषित करता है।"
 - **सुभाष चंद्र बोस:** "1935 का अधिनियम भारतीयों के लिए एक और बेड़ी है, जिसे पहनाकर उन्हें गुलाम बनाए रखा जाएगा।"
- **मुस्लिम लीग:**
संघीय व्यवस्था तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों का समर्थन किया गया, लेकिन पूरी प्रणाली में मुस्लिम हितों की उपेक्षा की शिकायत भी की गई।
बाद में जिन्ना ने इसे "तथाकथित सुधार" कहकर अस्वीकार कर दिया।
- **क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक:**
अधिनियम को साम्राज्यवादी धोखे का एक नया रूप बताया गया, जिसने जनता को भ्रमित करते हुए असली स्वतंत्रता की मांग को पीछे धकेल दिया।

महत्व

- यह अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

- स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में संघीय ढाँचा, विषयों का त्रिस्तरीय विभाजन, संघीय न्यायालय आदि के कई प्रावधान इसी अधिनियम से प्रेरित थे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना प्रमुख उपलब्धियां थीं।
- 1937 में शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता ने प्रांतीय सरकारों के गठन और उत्तरदायी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया।
- चुनावी प्रावधानों ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रशासनिक सुधारों की आड़ में ब्रिटिश वर्चस्व को मजबूत किया। यद्यपि कुछ तकनीकी संस्थाओं की नींव रखी गई, जैसे कि RBI और संघीय न्यायालय, परंतु राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं हुआ। नेताओं की तीखी आलोचना और जन समर्थन की कमी से यह स्पष्ट हुआ कि यह अधिनियम स्वराज की दिशा में नहीं, बल्कि साम्राज्य की रक्षा में उठाया गया एक कदम था।

d. 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का योगदान

भूमिका

1857 की क्रांति भारतीय उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक जनविद्रोह थी। इस विद्रोह ने जहां ब्रिटिश शासन की नींव हिलाई, वहीं देशभर में प्रादेशिक नेतृत्वकर्ता सामने आए। बिहार के जगदीशपुर से ताल्लुक रखने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह ने इस संघर्ष में एक वृद्ध योद्धा, महान रणनीतिकार और राष्ट्रभक्त सेनापति के रूप में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

मुख्य विश्लेषण: वीरता और नेतृत्व की गाथा

वंश और प्रारंभिक पृष्ठभूमि

वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक प्रतिष्ठित राजपूत ज़मींदार परिवार में हुआ। वे सम्राट भोज के वंशज माने जाते थे और अपने न्यायप्रिय, सहृदय स्वभाव के कारण स्थानीय जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे।

क्रांति में प्रवेश और आरा विजय

80 वर्ष की आयु में, जब अधिकांश लोग विश्राम की अवस्था में होते हैं, कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सिपाहियों के साथ मिलकर 27 अप्रैल 1857 को आरा नगर पर अधिकार कर लिया। उन्होंने जेल तोड़ी, बंदियों को मुक्त किया और सरकारी खजाने पर कब्ज़ा कर अपने विद्रोह का ऐलान किया।

रणनीति और मोर्चे

बीबीगंज, बिहिया, आजमगढ़, बनारस और गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में उन्होंने प्रभावशाली सैन्य मोर्चेबंदी की। विशेष रूप से 2 अगस्त 1857 को बीबीगंज में उनकी रणनीति ने अंग्रेजी सेना को करारी शिकस्त दी। कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक

कुंवर सिंह के नेतृत्व में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए संघर्ष किया, जिससे यह विद्रोह एक समावेशी राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने लगा।

ब्रिटिशों से संघर्ष और सैन्य समझ

जब अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर हमला किया, कुंवर सिंह ने अपनी सेना को जंगलों में पुनर्गठित किया। उन्होंने रीवा में नाना साहब से मुलाकात की और तात्या टोपे की रणनीति से समन्वय स्थापित किया। इसके पश्चात वे लखनऊ, बांदा और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे।

बलिदान और अंतिम विजय

गंगा नदी पार करते समय एक अंग्रेज सैनिक की गोली उनकी बांह में लगी। संक्रमण के डर से उन्होंने तलवार से स्वयं अपनी कलाई काट दी। यह उनका आत्म-बलिदान और अनुशासन का अनुपम उदाहरण था। इसके बाद उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर पर विजय प्राप्त की, लेकिन तीन दिन बाद, 26 अप्रैल को उनका देहांत हो गया।

मुख्य चुनौतियाँ

- वृद्धावस्था में सीमित शारीरिक सामर्थ्य
- आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी
- राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नेतृत्व का अभाव
- स्थानीय सामंतों की वैचारिक अस्थिरता
- ब्रिटिश सैन्य और कूटनीतिक दबाव

सरकारी मान्यता एवं ऐतिहासिक विरासत

- 1984 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया
- 2022 में उनकी 225वीं जयंती पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए
- बिहार सरकार ने **वीर कुंवर सिंह स्टेडियम** और स्मारक की स्थापना की
- उन्हें भारत के सबसे बुजुर्ग सेनापति के रूप में जाना जाता है, जिनकी युद्ध रणनीति आज भी अनुकरणीय मानी जाती है

अंतरराष्ट्रीय तुलना और दृष्टिकोण

जैसे नेल्सन मंडेला ने उम्र की परवाह किए बिना अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया, उसी तरह वीर कुंवर सिंह ने राष्ट्र और न्याय के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनका जीवन दर्शाता है कि उम्र कभी भी संकल्प और साहस के आड़े नहीं आती।

निष्कर्ष

"देशभक्ति वह ज्वाला है जो उम्र, परिस्थिति या संसाधन नहीं देखती — बस जलती है, तब तक जब तक न्याय की लौ प्रज्वलित न हो जाए।"

वीर कुंवर सिंह का जीवन इस महान विचार का मूर्त रूप है। वे 1857 की क्रांति के महानायक थे, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों को चुनौती दी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत किया। उनका त्याग और नेतृत्व भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदैव अंकित रहेगा।

e. मौर्यकाल के स्थापत्य कला का बिहार में विस्तार बताइए, साथ ही पटना स्थित राजप्रासाद का वर्णन कीजिए।

भूमिका

मौर्यकाल, विशेषकर सम्राट अशोक के शासन में, भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला के शास्त्रीय युग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग ने न केवल धर्म और शासन को एक कलात्मक रूप दिया, बल्कि स्थापत्य कला को एक सशक्त सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनाया। चूँकि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) थी, इसलिए बिहार इस स्थापत्य विकास का मुख्य केंद्र रहा।

1. मौर्यकालीन स्थापत्य कला का बिहार में विस्तार

राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र

पाटलिपुत्र उस समय एक संगठित और सुविकसित नगर था, जिसे गंगा नदी के किनारे पर बसाया गया था। सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक के शासनकाल में यह प्रशासनिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था।

नगरीय नियोजन

मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र लकड़ी से निर्मित एक विशाल नगर था, जिसकी रक्षा के लिए ऊँची दीवारें, परकोटे और प्रहरीदुर्ग बनाए गए थे। नगर के प्रत्येक भाग में सुव्यवस्थित मार्ग, जल निकासी, उद्यान और राजकीय भवन थे।

स्तंभ निर्माण

- **लौरिया-नंदनगढ़ (वैशाली)** और **नंदनगढ़ (चंपारण)** में अशोक के एकात्म स्तंभ स्थापत्य कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
- ये स्तंभ न केवल धार्मिक शिलालेखों से युक्त थे, बल्कि उनकी चमकदार पॉलिश और नक्काशी तकनीक विश्वस्तरीय थी।

बौद्ध स्थापत्य

- **बराबर की गुफाएं** (जहानाबाद जिला) मौर्यकाल की रॉक-कट वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- **सुदामा गुफा** जैसी कृतियाँ आजीवक संप्रदाय को समर्पित थीं और इनमें ध्वनि-गूंज तकनीक का उपयोग हुआ था।

सिंचाई एवं जल प्रबंधन

कृत्रिम जलाशयों और नहरों के माध्यम से कृषि को संरक्षित और प्रोत्साहित किया गया। *कन्हार सिंचाई प्रणाली* जैसे उदाहरण इस युग की वैज्ञानिक सोच को दर्शाते हैं।

शैक्षणिक प्रेरणाएँ

मौर्यकालीन नीतियों और संरक्षण के परिणामस्वरूप आगे चलकर *नालंदा* और *विक्रमशिला* जैसे शैक्षणिक केंद्रों का विकास हुआ।

(क) स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेष झलकियाँ

- **कुम्हारार (पटना):**

यहाँ 80 खंभों वाले एक विशाल सभा भवन के अवशेष मिले हैं जो प्रशासनिक स्थापत्य का प्रमाण हैं।

- **रामपुरवा का बैल (Rampurva Bull):**

यह अशोक स्तंभ का शीर्ष है, जिसे पॉलिश ग्रेनाइट से तराशा गया है। इसमें ज़ेबू नस्ल के बैल को अत्यंत वास्तविकता और सौंदर्य के साथ उकेरा गया है।

यह भारतीय परंपरा और विदेशी प्रभाव (अखमिनिद शैली) का सुंदर संगम है। वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में स्थापित है।

- **लौरिया नंदनगढ़ और वैशाली के अशोक स्तंभ:**

इन स्तंभों के शीर्ष पर शेर, बैल, हाथी, घोड़े जैसी मूर्तियाँ हैं, जो बौद्ध प्रतीकों और मौर्यकालीन प्रकृतिवाद को दर्शाती हैं।

2. पटना (पाटलिपुत्र) स्थित मौर्यकालीन राजप्रासाद

(क) निर्माण एवं विशेषताएँ

- यह राजप्रासाद लकड़ी से निर्मित था और गंगा के किनारे स्थित था।
- इसमें तीन मंज़िलें, सभा भवन, सुरंग मार्ग और सुसज्जित उद्यान थे।
- 500 से अधिक खंभे थे, जिनमें कुछ को *हाथीदांत* से अलंकृत किया गया था।
- भवन का लेआउट वर्षा और बाढ़रोधी तकनीक से युक्त था, जो नगर नियोजन में मौर्य कौशल को दर्शाता है।

(ख) फाह्यान का विवरण

“पाटलिपुत्र का राजप्रासाद अत्यंत विशाल और समृद्ध था; उसकी दीवारें और स्तंभ हाथीदांत से अलंकृत थे और उसमें ऐसी भव्यता थी जो मैंने चीन या अन्य किसी भूमि में नहीं देखी।

यह भवन मनुष्यों द्वारा नहीं, देवताओं द्वारा निर्मित प्रतीत होता है।”

— फाह्यान, 5वीं शताब्दी के चीनी यात्री

(ग) मेगस्थनीज की राय (Indica)

“पाटलिपुत्र का राजप्रासाद फारस के पर्सेपोलिस से भी अधिक भव्य था।”

— मेगस्थनीज, यूनानी राजदूत

3. चुनौतियाँ और सीमाएँ

- चूंकि भवन मुख्यतः लकड़ी से बने थे, वे समय के साथ नष्ट हो गए।
- सीमित पुरातात्विक अवशेष मिलने से संपूर्ण वास्तुकला को पुनः निर्मित करना कठिन है।
- प्राकृतिक आपदाएँ और संरक्षण की उपेक्षा ने इस धरोहर को क्षति पहुँचाई।

4. संरक्षण और सरकारी प्रयास

- ASI द्वारा कुम्हारार, बराबर गुफाएं और वैशाली के स्तंभों को संरक्षित किया जा रहा है।

- रामपुरवा बैल जैसी मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालयों और राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किया गया है।
- बिहार पर्यटन विभाग द्वारा "मौर्य धरोहर सर्किट" के माध्यम से मौर्यकालीन स्थलों के विकास का प्रयास किया गया है।

5. अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक दृष्टिकोण

- पाटलिपुत्र का राजप्रासाद ईरान के *पर्सेपोलिस* और चीन के *शियान* जैसे भव्य शाही भवनों की समकक्षता में रखा जाता है।
- मौर्य स्तंभ यूनानी स्तंभों से अलग सादगी, संदेश और धार्मिकता को दर्शाते हैं — यह भारतीय स्थापत्य की विशिष्टता है।

निष्कर्ष

"यदि आप किसी सभ्यता को समझना चाहते हैं, तो उसके द्वारा बनाए गए भवनों को देखिए — वे मौन होकर भी सबसे अधिक बोलते हैं।"

मौर्यकालीन स्थापत्य कला, विशेषकर बिहार में, उस काल के प्रशासनिक और सांस्कृतिक वैभव को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। पाटलिपुत्र का राजप्रासाद, बराबर की गुफाएं, और रामपुरवा का बैल — ये सभी मौर्य शासन की स्थापत्य दृष्टि, कलात्मकता और वैश्विक सोच के अद्वितीय उदाहरण हैं। यह धरोहरें आज भी न केवल गौरव का प्रतीक हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अमर गाथा भी कहती हैं।

2.a सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के कारणों की चर्चा करते हुए आंदोलन के क्रम में हुए प्रमुख कार्यक्रमों को बताइए।

भूमिका

1920 के दशक के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनमानस में असंतोष और मोहभंग तीव्र होता जा रहा था। 1929 में कांग्रेस द्वारा 'पूर्ण स्वराज' की घोषणा और ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों ने देश को पुनः एक संगठित जनांदोलन की ओर अग्रसर किया। इसी पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी द्वारा 1930 में आरंभ किया गया **सविनय अवज्ञा आंदोलन** अंग्रेजी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के अहिंसात्मक उल्लंघन का माध्यम बना।

1. आंदोलन प्रारंभ करने के प्रमुख कारण

क्रम	कारण	विवरण
(1)	साइमन कमीशन का बहिष्कार	आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने से जनाक्रोश बढ़ा और आंदोलन की भावना को बल मिला।
(2)	1929 का लाहौर अधिवेशन	'पूर्ण स्वराज' की घोषणा की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया।
(3)	दमनकारी कर नीति	नमक कर, भू-राजस्व, शराब कर आदि से जनता त्रस्त थी; गांधीजी ने इन्हें अन्यायपूर्ण कहा।

(4)	संवाद की विफलता	गांधी-इरविन संवाद निष्फल रहा, जिससे शांतिपूर्ण अवज्ञा आंदोलन अपरिहार्य हो गया।
(5)	आर्थिक संकट	1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारत की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया।

2. आंदोलन के क्रम में हुए प्रमुख कार्यक्रम

(क) नमक सत्याग्रह / दांडी यात्रा (12 मार्च – 6 अप्रैल 1930)

- गांधीजी ने साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ 240 मील की पैदल यात्रा की।
- 6 अप्रैल को दांडी पहुँचकर नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून का उल्लंघन किया गया।

(ख) देशव्यापी आंदोलन

- आंदोलन पूरे देश में फैल गया — मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि में व्यापक जन भागीदारी हुई।
- महिलाओं की सक्रिय भागीदारी — कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय प्रमुख रहीं।

(ग) बिहार में आंदोलन की स्थिति

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन व्यापक हुआ।
- नमक कानून, भू-राजस्व, वन कानूनों के विरुद्ध जन अवज्ञा हुई।

(घ) विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और शराब विरोध

- स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहन और ब्रिटिश वस्त्रों का सार्वजनिक बहिष्कार।
- शराब की दुकानों के बाहर महिलाओं और युवाओं ने धरने दिए।

(ङ) दमनात्मक कार्रवाई

- लगभग 60,000 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए, जिनमें स्वयं गांधीजी भी शामिल थे।
- लाठीचार्ज, संपत्तियों की जब्ती, और कई स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएँ सामने आईं।

3. गांधी-इरविन समझौता (मार्च 1931)

- जनदबाव के कारण लॉर्ड इरविन ने बातचीत का प्रस्ताव रखा।
- समझौते के मुख्य बिंदु:
 - आंदोलन की समाप्ति
 - राजनीतिक बंदियों की रिहाई

- गांधीजी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना

4. आंदोलन की विशेषताएँ

- अहिंसात्मक और संगठित राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन।
- महिलाओं, किसानों, आदिवासियों और विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी।
- ब्रिटिश सत्ता की नैतिक वैधता को खुली चुनौती।
- यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में आत्मबल और अनुशासन का परिचायक बना।

बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार

1. नेतृत्व और संगठन

- बिहार में आंदोलन का नेतृत्व डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, सिरीन मियां, कृष्ण बल्लभ सहाय आदि ने किया।
- कांग्रेस कमेटियों ने गाँव-गाँव में आंदोलन का प्रचार और संगठन किया।
- महिला सत्याग्रही — कमला देवी, दुर्गावती देवी आदि ने विशेष भागीदारी निभाई।

2. प्रमुख कार्यक्रम और घटनाएँ

(क) नमक कानून का उल्लंघन

- दारभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आदि जिलों में स्वयंसेवकों ने तालाबों व जलस्रोतों से नमक बनाकर कानून तोड़ा।

(ख) विदेशी वस्त्र और शराब बहिष्कार

- पटना, गया, आरा जैसे नगरों में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई।
- शराब की दुकानों के समक्ष उपवास, धरना और प्रदर्शन किए गए।

(ग) ज़मींदारी और भू-राजस्व विरोध

- चंपारण, सारण, शाहाबाद जिलों में किसानों ने भारी लगान और कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह किया।
- वन कानूनों के उल्लंघन के ज़रिए आदिवासी समुदायों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

3. जन भागीदारी और जागरूकता

- छात्र, किसान, महिलाएं, दुकानदार, मजदूर सभी वर्गों ने भाग लिया।
- विद्यालयों और महाविद्यालयों में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार।
- लोकगीतों, भजन मंडलियों और नुक्कड़ नाटकों द्वारा जनजागरण।

4. दमन और गिरफ्तारियाँ

- हजारों आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी।

- राजेन्द्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह आदि प्रमुख नेता जेल भेजे गए।
- बक्सर, आरा, मोतिहारी, पटना आदि में लाठीचार्ज और गोलीकांड की घटनाएँ।
- आंदोलनकारियों की संपत्तियाँ जब्त की गईं और कुछ को काला पानी की सजा भी मिली।

निष्कर्ष

"अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्यायपूर्ण सत्ता को झुकाने का यह पहला संगठित प्रयोग था।"

सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक अध्याय था। यह केवल अंग्रेजी कानूनों की अवज्ञा नहीं, बल्कि जनचेतना, आत्मबल और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक था। अल्पकालिक होते हुए भी इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की नींव को सुदृढ़ किया और ब्रिटिश सत्ता को भारतीय आकांक्षाओं पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया।

2.b भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान को बताइए। क्या क्रांतिकारी आंदोलन को यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन मिलता तो आजादी हमें समय से पहले मिल सकती थी? अपना तर्क दीजिए।

भूमिका

"मैं क्रांति में विश्वास करता हूँ, पर हिंसा में नहीं।"

— भगत सिंह

जब संविधानिक सुधार, नरमपंथ और अहिंसक आंदोलन अपेक्षित परिणाम न ला सके, तब भारत का युवा वर्ग **क्रांतिकारी राष्ट्रवाद** की ओर अग्रसर हुआ। यह विचारधारा आक्रोश, आत्मगौरव और बलिदान की त्रयी पर आधारित थी। क्रांतिकारी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की वह धारा थी, जिसने साहसिक और निर्णायक प्रतिरोध को जन्म दिया।

1. क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारण

- **बंगाल विभाजन (1905):** राष्ट्रीय चेतना का उभार
- **नरमपंथियों की विफलता:** पिटीशन-प्रार्थना की नीति से निराशा
- **विदेशी क्रांतियों का प्रभाव:** फ्रांसीसी, रूसी, आयरिश आंदोलनों से प्रेरणा
- **राष्ट्रीय गौरव की भावना:** आत्मसम्मान की रक्षा का आह्वान
- **प्रेस और शिक्षा का प्रभाव:** तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष की लेखनी

2. क्रांतिकारी आंदोलन की विचारधारा और प्रेरक नेता

- **स्वराज को अधिकार मानना**
- **क्रांति का अर्थ केवल हिंसा नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना**
- **प्रमुख विचारक:**
 - भगत सिंह (समाजवादी दृष्टिकोण)

- सावरकर (सशस्त्र संघर्ष और 1857 को 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम')
- अरविंद घोष (आध्यात्मिक क्रांति और कर्मयोग)

3. क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख चरण और गतिविधियाँ

प्रथम चरण (1905–1910): बंगाल में उभार

- अनुशीलन समिति, युगांतर दल
- खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अलीपुर बम कांड
- मदनलाल ढींगरा द्वारा वायली की हत्या

दूसरा चरण (1910–1920): विदेशों से योजना

- इंडिया हाउस (लंदन), गदर पार्टी (अमेरिका), बर्लिन प्लॉट, रासबिहारी बोस

तीसरा चरण (1920–1934): समाजवादी झुकाव

- HSRA का गठन, काकोरी कांड, सांडर्स हत्या, असेम्बली बम कांड, चटगांव विद्रोह

चौथा चरण (1935–1945): अंतरराष्ट्रीय क्रांति

- आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, "तुम मुझे खून दो..."

4. योगदान और विशेषताएँ

- जनचेतना का विस्तार, युवाओं में बलिदान की भावना
- ब्रिटिश सत्ता की नैतिकता को चुनौती
- समाजवादी विचारधारा का प्रसार
- स्वतंत्रता आंदोलन को बहुआयामी रूप देना

5. सीमाएँ और आलोचना

- संगठनात्मक कमजोरी, जनसंपर्क की कमी
- हिंसा का प्रयोग, मुख्यधारा से अलगाव
- गतिविधियाँ अक्सर प्रतीकात्मक या छिटपुट रहीं

6. अगर कांग्रेस का समर्थन होता तो...?

सम्भावनाएँ (समर्थन मिलने पर):

- राष्ट्रीय वैधता और जनाधार बढ़ता
- संसाधनों और रणनीति में मजबूती मिलती
- ब्रिटिश सत्ता पर बहुआयामी दबाव पड़ता

- अंतरराष्ट्रीय समर्थन और सहानुभूति बढ़ती
- क्रांति को विचारधारात्मक संतुलन मिलता

व्यवहारिक बाधाएँ (समर्थन न मिलने के कारण):

- गांधी जी की अहिंसा आधारित नैतिक दृष्टि
- कांग्रेस की संवैधानिक मान्यता की चिंता
- जनता में हिंसा के प्रति भय या भ्रम
- ब्रिटिश दमन की नीति और रणनीति

7. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक उदाहरण

संदर्भ	विश्लेषण
असहयोग आंदोलन (1920) व काकोरी कांड (1925)	एकीकरण होता तो आंदोलन की तीव्रता अधिक होती
सुभाष बोस का कांग्रेस से अलग होना	यदि सहयोग बना रहता, तो क्रांति + नेतृत्व = तेज़ परिणाम
आयरलैंड का स्वतंत्रता संघर्ष	राजनीतिक पार्टी (Sinn Féin) और सशस्त्र संगठन (IRA) के सहयोग से सफलता मिली

निष्कर्ष

"जब नैतिकता और साहस एक मंच पर आ जाएं, तो साम्राज्य टिक नहीं पाते।"

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफलता में जहां कांग्रेस की संगठित रणनीति और अहिंसा महत्वपूर्ण रही, वहीं क्रांतिकारियों के साहसिक बलिदान ने आत्मगौरव और प्रतिरोध की चेतना को जीवित रखा।

यदि इन दोनों धाराओं के बीच विचारधारात्मक समन्वय और रणनीतिक सहयोग हो पाता, तो संभवतः आज़ादी कुछ वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती।

फिर भी, यह आंदोलन केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक पुनर्जागरण भी था — जिसमें संतुलन और आत्मसंयम की आवश्यकता थी।

3.a बंगाल विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक बल प्रदान किया। कथन की समीक्षा कीजिए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रही। अपना तर्कपूर्ण विचार प्रकट करें।

भूमिका

"बंगाल विभाजन ने भारत में राष्ट्रवाद की आग को हवा दी, जिसने अंततः स्वतंत्रता संग्राम को प्रज्वलित कर दिया।"

1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की "फूट डालो और शासन करो" नीति का स्पष्ट

उदाहरण था। प्रशासनिक सुविधा के नाम पर यह कदम उठाया गया, लेकिन इसका उद्देश्य था भारतीय एकता को तोड़ना, खासकर हिंदू-मुस्लिम एकता को।

परिणामस्वरूप, इसने भारत में भावनात्मक, सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद को एक नई ऊँचाई दी।

1. बंगाल विभाजन: पृष्ठभूमि और उद्देश्य

- बंगाल भारत का सबसे बड़ा, राजनीतिक रूप से जागरूक और प्रशासनिक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रांत था।
- 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया:
 - पश्चिम बंगाल (हिंदू बहुल): जिसमें बिहार, उड़ीसा सम्मिलित
 - पूर्वी बंगाल व असम (मुस्लिम बहुल): जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई
- ब्रिटिश उद्देश्य:
 - राष्ट्रवाद को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर विभाजित करना
 - कांग्रेस की शक्ति को कमजोर करना
 - मुस्लिम समुदाय को विशेष रियायतें देकर अलग करना

2. बंग-भंग आंदोलन की शुरुआत और स्वरूप

(क) आंदोलन की शुरुआत

- 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया
- रवीन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में *राखी बंधन कार्यक्रम* — हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक
- तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेताओं ने आंदोलन को गति दी

(ख) आंदोलन के मुख्य आयाम

1. स्वदेशी आंदोलन:

- विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन
- स्वदेशी मेले और हस्तशिल्प केंद्र की स्थापना

2. बहिष्कार आंदोलन:

- अंग्रेजी शिक्षा, न्यायालय, वस्त्र, बैंक आदि का बहिष्कार
- स्कूलों-कॉलेजों में हड़तालों, वकीलों द्वारा अदालतों का त्याग

3. राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन:

- वैकल्पिक राष्ट्रवादी शिक्षा प्रणाली
- नेशनल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना

4. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद:

- टैगोर, शरत चंद्र, बंकिमचंद्र आदि की सांस्कृतिक भूमिका
- "वंदे मातरम्" आंदोलन का मंत्र बन गया

5. महिला और छात्र भागीदारी:

- महिलाओं ने भक्ति और देशभक्ति के संगम से सक्रिय भागीदारी की
- विद्यार्थियों ने अंग्रेजी स्कूलों और पुस्तकों का बहिष्कार किया

3. आंदोलन के प्रभाव और परिणाम

क्षेत्र	प्रभाव
राजनीतिक	पहला जन-आधारित राष्ट्रवादी आंदोलन; कांग्रेस में उग्रवाद की ओर झुकाव
संगठनात्मक	गरम-नरम दलों का उभार; सूरत विभाजन (1907)
क्रांतिकारी प्रभाव	अनुशीलन समिति, युगांतर दल, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जैसे युवा क्रांतिकारियों का उदय
ब्रिटिश प्रतिक्रिया	1911 में विभाजन रद्द करना पड़ा; राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित

4. सीमाएँ और चुनौतियाँ

- आंदोलन शहरी और बंगाल क्षेत्र तक सीमित
- मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश रियायतों के कारण धीरे-धीरे अलग किया गया
- कांग्रेस में नेतृत्व के स्तर पर मतभेद और विभाजन
- नेतृत्व की स्पष्टता की कमी और दीर्घकालिक रणनीति का अभाव

5. आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका

सकारात्मक प्रभाव	ऐतिहासिक महत्व
पहला जन-आधारित राष्ट्रवाद	स्वतंत्रता संग्राम की नींव को जन-भागीदारी मिली
आर्थिक और सांस्कृतिक जागरण	स्वदेशी आंदोलन से आत्मनिर्भरता की भावना
क्रांतिकारी आंदोलन की नींव	अनुशीलन समिति, युगांतर दल जैसे संगठनों का निर्माण
ब्रिटिश सत्ता को चुनौती	पहली बार ब्रिटिश शासन को जनाक्रोश का अनुभव हुआ

6. क्या ब्रिटिश सरकार विफल रही? मुख्य तर्क

1. ब्रिटिश उद्देश्य उलटा पड़ा

- आंदोलन ने राष्ट्रवाद को कमजोर नहीं, और मजबूत किया
- पहली बार रचनात्मक आंदोलन और जन समर्थन एक साथ सामने आया

2. "फूट डालो" नीति असफल रही

- टैगोर के *राखी बंधन आंदोलन* जैसे प्रयासों ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बल दिया

3. क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जन्म

- युवाओं में उग्र चेतना और सशस्त्र संघर्ष की भावना विकसित हुई

4. ब्रिटिश सत्ता को पीछे हटना पड़ा

- 1911 में विभाजन रद्द और राजधानी का स्थानांतरण — रणनीतिक पराजय

5. कांग्रेस को जनाधार मिला

- आंदोलन ने कांग्रेस और जनता के बीच सीधा संबंध स्थापित किया

7. आलोचना और सीमाएँ

- आंदोलन कुछ समय बाद कमजोर पड़ गया
- धार्मिक ध्रुवीकरण की नींव पड़ी — मुस्लिम लीग की स्थापना (1906)
- ग्रामीण भारत तक आंदोलन की पहुँच सीमित रही

8. समीक्षात्मक निष्कर्ष

उद्देश्य (ब्रिटिश मंशा)	वास्तविक परिणाम
राष्ट्रवाद को कमजोर करना	और अधिक प्रबल हुआ
हिंदू-मुस्लिम विभाजन	आंशिक सफलता, दीर्घकालीन विफलता
बंगाल की शक्ति को तोड़ना	बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र बना
स्थायी पुनर्संरचना	1911 में विभाजन रद्द

निष्कर्ष

"विभाजन सत्ता को दे सकता है नियंत्रण, पर जनता को नहीं छीन सकता आत्मा से जुड़ाव।"

बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार की एक गहरी साजिश थी, जिसे भारतीय जनता ने सांस्कृतिक चेतना, जनप्रतिरोध और संगठनात्मक ऊर्जा से पराजित कर दिया।

यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली ऐसी लहर थी जिसने पूरे भारत में राजनीतिक जागरण की नींव रखी, और आगे चलकर अहिंसात्मक तथा क्रांतिकारी दोनों ही धाराओं को दिशा दी।

b. मौर्य साम्राज्य की कला और वास्तुकला की विशेषताओं को बताइये, प्रमुख उदाहरण देते हुए उनके महत्व को समझाइये।

भूमिका

"कला किसी भी सभ्यता की आत्मा होती है, और मौर्यकाल ने भारतीय आत्मा को पत्थरों में गढ़ा।"

मौर्य साम्राज्य (322-185 ई.पू.), विशेषतः सम्राट अशोक के शासनकाल में, भारतीय कला ने एक संगठित, राजकीय और प्रतीकात्मक स्वरूप ग्रहण किया।

यह युग केवल सौंदर्य प्रदर्शन का नहीं, बल्कि धार्मिक प्रचार, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और सांस्कृतिक एकीकरण का माध्यम भी बना।

1. मौर्यकालीन स्थापत्य और कला की प्रमुख विशेषताएँ

विशेषता	विवरण
राजकीय संरक्षण	अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु स्तंभ, गुफाएँ और स्तूपों का निर्माण
धार्मिक उद्देश्य	स्थापत्य का उपयोग 'धम्म' के प्रचार और नैतिक उपदेशों के प्रसार हेतु
मोनोलिथिक वास्तुकला	एक ही पत्थर से विशाल स्तंभ और मूर्तियाँ गढ़ी गईं
मौर्य पॉलिश	अत्यंत चिकनी, दर्पण-जैसी चमकदार सतह
ईरानी-यूनानी प्रभाव	स्तंभों के शीर्ष अलंकरण में पर्शियन व यूनानी शैलियों की छाप

2. प्रमुख स्थापत्य रूप और उनके उदाहरण

(क) स्तंभ (Ashokan Pillars)

- एकाशम स्तंभ, ऊँचाई 40-50 फीट
- शीर्ष पर सिंह, बैल, हाथी और अश्व
- प्रमुख उदाहरण:
 - सारनाथ का सिंह स्तंभ – भारत का राष्ट्रीय प्रतीक
 - रामपुरवा का बैल – यथार्थपरक मूर्तिकला
 - लौरिया नंदनगढ़, वैशाली, बसाढ़ आदि में स्तंभ

(ख) शिलालेख (Edicts)

- ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण
- धम्म एवं राजनीतिक नीति के उपदेश
- 13 प्रमुख शिलालेख और 7 स्तंभ लेख ज्ञात

(ग) गुफाएँ (Rock-cut Caves)

- बराबर और नागार्जुनी (बिहार)
- सुदामा गुफा – आजीवक संप्रदाय को समर्पित
- चिकनी दीवारें, घुमावदार छतें, गूँज तकनीक

(घ) राजप्रासाद और नगर नियोजन

- पाटलिपुत्र (कुम्हारार): लकड़ी से निर्मित सभा भवन
- मेगस्थनीज़ और फाह्यान के अनुसार यह भवन अत्यंत भव्य था
- योजनाबद्ध नगर, सुरंगें, खंदकें, बाग-बगिचे

3. मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषताएँ

- प्राकृतिकता और जीवंतता
- पशु मूर्तियों में यथार्थपरक अभिव्यक्ति
- धार्मिक प्रतीकात्मकता —
 - सिंह: शक्ति
 - बैल: सहनशीलता
- मौर्य पॉलिश: शिल्प की उत्कृष्टता का परिचायक

4. मौर्यकालीन स्थापत्य का महत्व

क्षेत्र	योगदान
धार्मिक	बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक, धम्म संदेशों का प्रसार
राजनीतिक	सम्राट की शक्ति और सार्वभौमिकता का प्रतीक
सांस्कृतिक एकता	कला की एकरूपता ने भारतीय एकता को बढ़ावा दिया
आर्किटेक्चर परंपरा	सांची, अमरावती, अजंता जैसी परंपराओं की आधारशिला रखी

निष्कर्ष

"मौर्यकाल की कला भारतीय आत्मा का पहला स्थापत्य रूप थी — जिसमें धर्म, राजनीति और सौंदर्य एक साथ गढ़े गए।"

मौर्यकाल की स्थापत्य और मूर्तिकला न केवल धार्मिक और राजनीतिक संदेशों की वाहक थी, बल्कि भारतीय संस्कृति की सौंदर्य चेतना की शुरुआत भी थी।

सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रचिह्न है, मौर्यकाल की उस विरासत का जीवंत प्रतीक है, जो आज भी भारत की पहचान को आकार दे रहा है।

4. a ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ का भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा?

भूमिका:

"व्यापार युद्धों में विजेता नहीं होते, केवल नुकसान की गिनती होती है।"

2017 से 2021 के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "America First" नीति के तहत अमेरिका ने वैश्विक व्यापार में प्रोटेक्शनिज्म की ओर रुख किया। इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी उत्पादकों को बढ़ावा देना था, लेकिन इसके तहत लगाए गए टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स ने भारत सहित कई देशों के निर्यात को प्रभावित किया। भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा हुआ।

1. प्रमुख पारस्परिक टैरिफ और व्यापारिक उपाय:

नीति / उपाय	विवरण
GSP का निरसन (2019)	अमेरिका ने भारत को मिलने वाला GSP (Generalized System of Preferences) लाभ समाप्त कर दिया, जिससे लगभग 5.6 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात प्रभावित हुए।
स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ (2018)	भारत से आयातित स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगाया गया।
Harley-Davidson विवाद	ट्रंप ने भारत में मोटरसाइकिलों पर ऊँचे आयात शुल्क को अनुचित बताया और इसे कम करने की मांग की।
Reciprocal Tariff की चेतावनी	अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि भारत अमेरिका से कहीं अधिक टैरिफ वसूलता है, जिसे संतुलित करने के लिए अमेरिका ने जवाबी कदम उठाए।

2. भारतीय निर्यात पर प्रभाव:

(क) बाज़ार पहुँच में बाधा:

- GSP लाभ समाप्त होने से कपड़ा, रत्न-आभूषण, कृषि उत्पाद और ऑटो कलपुर्जों जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में गिरावट आई।
- उच्च टैरिफ के कारण भारतीय वस्तुएँ अमेरिकी बाज़ार में महंगी हो गईं।

(ख) व्यापार घाटे में असंतुलन:

- भारत-अमेरिका व्यापार संतुलन अमेरिका के पक्ष में झुक गया।
- भारत को वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख करना पड़ा, जैसे कि यूरोपीय संघ और ASEAN देशों की ओर।

(ग) कुछ क्षेत्रों में सीमित या सकारात्मक प्रभाव:

- आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और शैक्षणिक सेवाएं अपेक्षाकृत अप्रभावित रहीं।
- कुछ निर्यातकों ने अपने उत्पादों के गंतव्य देशों में विविधता लाकर स्थिति से सामंजस्य बैठाया।

3. भारत की प्रतिक्रिया और सामंजस्य के प्रयास:

- भारत ने अमेरिका से आने वाले 28 उत्पादों (जैसे: बादाम, सेब, अखरोट) पर टैरिफ बढ़ाया।
- भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएँ कई बार आयोजित हुईं, लेकिन *Mini Trade Deal* अंतिम रूप नहीं ले सकी।
- भारत ने *आत्मनिर्भर भारत* के तहत घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया।

4. दीर्घकालिक प्रभाव और सीख:

प्रभाव	विश्लेषण
वित्तीय दबाव	MSME निर्यातकों पर टैरिफ का सीधा प्रभाव पड़ा, जिससे उनका लाभ घटा।
रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन	भारत ने अपनी व्यापार नीति को प्रतिक्रियावादी के बजाय अवसर-उन्मुख बनाया।
FTA की दिशा में प्रगति	भारत ने EU और UK के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर वार्ताएँ तेज कीं।
सॉफ्ट पावर पर ध्यान	तकनीकी और सेवा क्षेत्र (जैसे आईटी, हेल्थकेयर) को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई।

निष्कर्ष:

ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफों ने भारत को अल्पकाल में अवश्य झटका दिया, खासकर कृषि, वस्त्र और रत्न-आभूषण क्षेत्रों में। किंतु इस संकट ने भारत को अपनी व्यापारिक रणनीति पुनर्गठित करने, बाजारों का विविधीकरण करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया।

भविष्य की राह यह संकेत देती है कि भारत को वैश्विक व्यापारिक अस्थिरता से निपटने हेतु

- बाजार पहुंच में सुधार,
- रणनीतिक व्यापार समझौतों की सक्रियता,
- और उत्पादों की गुणवत्ता उन्नयन जैसे क्षेत्रों में सतत विकास करना होगा।

b. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के उद्देश्य को परिभाषित कीजिए एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए।

भूमिका

"जब सीमाएं व्यापार के लिए खुलती हैं, तो अवसरों का प्रवाह सीमाओं से परे जाता है।"

मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) वह औपचारिक समझौता होता है जिसमें दो या अधिक देश आपसी व्यापार को सरल बनाने के लिए एक-दूसरे के बीच वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले **सीमा शुल्क (Tariff)** तथा **गैर-शुल्क बाधाओं (Non-Tariff Barriers)** को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। इसका उद्देश्य न केवल निर्यात को बढ़ावा देना होता है, बल्कि विदेशी निवेश आकर्षित करना, घरेलू उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारियाँ मजबूत करना भी होता है।

भारत ने कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय FTA किए हैं – जैसे भारत-आसियान FTA, भारत-जापान CEPA, भारत-दक्षिण कोरिया CEPA, भारत-UAE CEPA (2022), और भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022)।

1. मुक्त व्यापार समझौता के उद्देश्य

उद्देश्य	विवरण
टैरिफ बाधाओं को हटाना	सीमा शुल्क में कटौती से व्यापार को सहज और किफायती बनाना।
निर्यात को बढ़ावा देना	घरेलू उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना।
विदेशी निवेश आकर्षित करना	नीति स्थिरता के माध्यम से वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीतना।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ाव	भारत को वैश्विक विनिर्माण एवं सेवा नेटवर्क से जोड़ना।
रणनीतिक साझेदारी	आर्थिक संबंधों के माध्यम से द्विपक्षीय कूटनीति को सुदृढ़ करना।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर FTA के प्रभाव

(क) सकारात्मक प्रभाव

1. निर्यात में वृद्धि

- भारत-UAE CEPA के बाद रत्न-आभूषण, कपड़ा और फार्मा उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय बढ़त हुई।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA से कृषि एवं शिक्षा क्षेत्र को नई संभावनाएँ मिलीं।

2. निवेश में वृद्धि

- FTA के चलते 'मेक इन इंडिया' और 'PLI योजना' को समर्थन मिला।
- जापान व दक्षिण कोरिया जैसे देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में तेजी आई।

3. रोजगार के अवसर

- निर्यात में वृद्धि के कारण वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें।

4. प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता सुधार

- विदेशी प्रतिस्पर्धा ने भारतीय कंपनियों को नवाचार और गुणवत्ता सुधार की ओर प्रेरित किया।

(ख) चुनौतियाँ और नकारात्मक प्रभाव

1. व्यापार घाटे में वृद्धि

- ASEAN और कोरिया जैसे देशों के साथ FTA के बाद भारत का व्यापार घाटा बढ़ा, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में।

2. घरेलू उद्योगों पर दबाव

- MSME और कृषि क्षेत्र के उत्पादक सस्ते आयात के कारण दबाव में आए।
- घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षित नहीं किया गया।

3. असमान लाभ वितरण

- कुछ समझौतों में भारत को अपेक्षाकृत कम लाभ मिला; लाभ कुछ क्षेत्रों या कंपनियों तक सीमित रह गया।

4. नियमों की जटिलता

- "रूल्स ऑफ ओरिजिन" के तहत कई देश तीसरे देशों से उत्पाद मंगवाकर FTA का दुरुपयोग करते हैं, जिससे घरेलू उत्पादक प्रभावित होते हैं।

3. नीति में नया रुख

- भारत ने 2020 में **RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)** से बाहर होने का फैसला लिया, क्योंकि इससे कृषि, डेयरी और MSME सेक्टर को खतरा था।
- चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को भी एक बड़ा कारण माना गया।
- अब भारत का रुख **"संतुलित और रणनीतिक FTA"** की ओर है।

हाल के प्रमुख समझौते:

- भारत-UAE CEPA (2022)
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022)
- भारत-UK FTA (वार्ता जारी)

निष्कर्ष

"मुक्त व्यापार समझौते तभी सार्थक होते हैं जब वे केवल बाज़ार खोलने तक सीमित न रहकर, घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने का माध्यम बनें।"

FTA भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों हैं।

जहाँ एक ओर ये वैश्विक व्यापार में भागीदारी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर वे घरेलू उद्योगों की कमजोरी को भी उजागर करते हैं। इसलिए भारत को ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो व्यापारिक उदारीकरण और आत्मनिर्भरता – दोनों के बीच संतुलन बनाए।

नीति सुझाव:

- FTA पूर्व व्यापक प्रभाव आकलन (Impact Assessment)
- संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपाय
- घरेलू उद्योगों के लिए उत्पादन और नवाचार समर्थन
- नियमों के अनुपालन की सख्ती

c. बिहार की 'जल-जीवन-हरियाली' योजना के उद्देश्य एवं जलवायु कार्यवाही में उसके योगदान को स्पष्ट कीजिए।

भूमिका

"जल, जीवन और हरियाली — ये केवल संसाधन नहीं, बल्कि भविष्य की बुनियाद हैं।"

बिहार जैसे कृषि-प्रधान राज्य में पर्यावरणीय असंतुलन, जल संकट और हरित आवरण की कमी ने कृषि उत्पादकता, ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर असर डाला है। इन्हीं समस्याओं से निपटने हेतु वर्ष 2019 में बिहार सरकार ने 'जल-जीवन-हरियाली' योजना की शुरुआत की। यह योजना न केवल जल संरक्षण व हरियाली बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने की एक रणनीतिक पहल भी है।

1. योजना के प्रमुख उद्देश्य

उद्देश्य	विवरण
जल स्रोतों का पुनर्जीवन	पारंपरिक जल संरचनाओं जैसे तालाब, आहर, पाइन और कुओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार।
वृक्षारोपण व हरित आवरण	राज्य में बड़े स्तर पर पौधारोपण; निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन।
वर्षा जल संचयन	शहरी और ग्रामीण भवनों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया।
कृषि में जल प्रबंधन	ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और जैविक खेती जैसी तकनीकों को अपनाने पर बल।
सौर ऊर्जा का उपयोग	सरकारी भवनों में सौर पैनल की स्थापना को बढ़ावा।
जन जागरूकता और भागीदारी	स्थानीय लोगों को अभियान से जोड़कर पर्यावरणीय चेतना को जन-आंदोलन का रूप देना।

2. जलवायु कार्यवाही में योजना का योगदान

(क) कार्बन सिंक का निर्माण

- राज्य में **5 करोड़ पौधों** के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिससे वायुमंडल से CO₂ अवशोषण में मदद मिलती है।
- हरित आवरण में वृद्धि से **स्थानीय तापमान** में संतुलन और **वर्षा चक्र में स्थिरता** आती है।

(ख) जलवायु अनुकूलन की दिशा में योगदान

- तालाबों, नालों और नदियों का पुनर्जीवन **बाढ़ और सूखा** जैसी चरम जलवायु घटनाओं से लड़ने में सहायक।
- कृषि क्षेत्र में कम जल-आधारित तकनीकों को अपनाकर उत्पादन को **जलवायु लचीला** बनाया जा रहा है।

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

- सौर ऊर्जा** के उपयोग से **ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन** में कमी।
- पंपिंग सिस्टम व सरकारी इमारतों में सौर पैनल से **कार्बन फुटप्रिंट घटाया** गया।

(घ) जन सहभागिता और व्यवहारिक परिवर्तन

- जल-जागरण यात्राएँ, वृक्षारोपण अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को सीधे योजना से जोड़ा गया।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में **पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक चेतना** का विकास हुआ।

3. प्रमुख उपलब्धियाँ (2023 तक)

मापदंड	आँकड़े
पौधारोपण	25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।
जल संरचनाओं का पुनरुद्धार	3 लाख से अधिक तालाब, आहर और पाइन पुनर्जीवित।
वर्षा जल संचयन	50,000 से अधिक भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था।
सौर ऊर्जा अपनाना	10,000+ सरकारी भवनों पर सौर पैनलों की स्थापना।

4. वैश्विक जलवायु लक्ष्यों से सामंजस्य

- योजना भारत के **Paris Agreement** के **NDCs** के अनुरूप है।
- यह **SDG-13 (Climate Action)**, **SDG-6 (Clean Water)** और **SDG-15 (Life on Land)** की दिशा में राज्य स्तरीय प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है।

निष्कर्ष

"स्थायी विकास केवल नीतियों से नहीं, धरती से जुड़ी कार्यवाहियों से आता है।"

'जल-जीवन-हरियाली' योजना ने बिहार में जल, हरियाली और जन-भागीदारी को एक साझा मंच पर लाकर जलवायु कार्यवाही का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। यह योजना न केवल पर्यावरणीय पुनरुत्थान की दिशा में अग्रसर है, बल्कि सामुदायिक जागरूकता और सहभागिता के माध्यम से स्थायी और दीर्घकालिक विकास की आधारशिला भी रखती है।

यदि इसे दीर्घकालीन रणनीति और वैज्ञानिक मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो यह योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण बन सकती है।

d. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (Zero Budget Natural Farming – ZBNF) क्या है? एवं इसके क्या लाभ हैं?

भूमिका

"प्रकृति के अनुरूप खेती न केवल धरती को बचाती है, बल्कि किसान की आत्मनिर्भरता की भी नींव रखती है।"

भारत की कृषि व्यवस्था दशकों से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और कर्ज की निर्भरता के कारण आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक संकट का सामना कर रही है। ऐसे में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) एक स्थायी, रसायनमुक्त और किसान-हितैषी विकल्प के रूप में उभरी है। यह पद्धति पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा विकसित की गई है, जो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक सोच का समन्वय प्रस्तुत करती है।

1. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है?

ZBNF एक ऐसी कृषि पद्धति है, जो शून्य लागत पर आधारित है और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से खेती को संभव बनाती है।

तत्व	विवरण
Zero Budget	किसान को उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं।
Natural	रासायनिक उत्पादों के स्थान पर देशी गाय के गोबर, गोमूत्र जैसे जैविक संसाधनों का प्रयोग।
Farming	पारंपरिक कृषि विज्ञान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती।

चार प्रमुख स्तंभ:

1. जीवामृत:

- देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा, मिट्टी और पानी से तैयार जैविक घोल;
- मिट्टी की सूक्ष्मजीव गतिविधि को सक्रिय करता है।

2. बीजामृत:

- बीजों को रोग-प्रतिरोधक जैव घोल से उपचारित कर अंकुरण की दर और गुणवत्ता बढ़ाई जाती है।

3. आच्छादन (Mulching):

- भूमि को प्राकृतिक ढाँपनों (फसल अवशेष, घास) से ढँककर नमी और तापमान संतुलन बनाए रखना।

4. वापसा:

- मिट्टी की हवा और नमी का संतुलन;
- कम सिंचाई में भी फसल संभव।

2. ZBNF के लाभ:

(क) कृषि-आर्थिक दृष्टिकोण से:

- रासायनिक उत्पादों पर खर्च नहीं — खेती की लागत में भारी कमी।
- किसानों की **कर्ज़ निर्भरता** घटती है, जिससे आत्महत्या जैसे सामाजिक संकटों में राहत।
- **छोटे और सीमांत किसान** जोत में भी लाभकारी खेती संभव।
- **लघु पूंजी में अधिक उत्पादन** से कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है।

(ख) पर्यावरणीय दृष्टिकोण से:

- मिट्टी की जैव उर्वरता संरक्षित रहती है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता संभव।
- रासायनिक प्रदूषण की समाप्ति — जल, भूमि, वायु की शुद्धता बनी रहती है।
- जल संरक्षण में सहायक — वापसा एवं आच्छादन के कारण सिंचाई की आवश्यकता घटती है।
- जैव विविधता को बढ़ावा देता है — कीट, पक्षी और सूक्ष्मजीवों की रक्षा।

(ग) स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी लाभ:

- ZBNF से उत्पादित फसलें रसायन-मुक्त और पोषण युक्त होती हैं।
- उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता बढ़ती है।
- भूमि और जल के प्रदूषण में कमी से **सार्वजनिक स्वास्थ्य** बेहतर होता है।

(घ) सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव:

- किसानों में **आत्मसम्मान और स्वावलंबन** की भावना का विकास।
- **ग्राम आधारित उत्पादन प्रणाली** को बल मिलता है।
- कृषि से पलायन की प्रवृत्ति में कमी और **ग्रामीण अर्थव्यवस्था** को मजबूती।
- सामूहिक कृषि प्रयासों (जैसे महिला SHG, कृषक उत्पादक संगठन) को प्रोत्साहन।

3. सरकारी प्रयास और विस्तार

- **अंतरिम बजट 2019** में केंद्र सरकार द्वारा ZBNF को बढ़ावा देने की घोषणा।
- **केंद्रीय बजट 2022-23** में सतत प्राकृतिक खेती पर ज़ोर।
- आंध्र प्रदेश ने इसे **राज्य नीति** के रूप में अपनाया — 'AP Community Managed Natural Farming' के माध्यम से।

- नीति आयोग और FAO द्वारा इसे **स्थायी कृषि मॉडल** के रूप में मान्यता।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** और **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)** के तहत भी समर्थन।

निष्कर्ष

"जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग केवल खेती की तकनीक नहीं, एक आंदोलन है — किसान, प्रकृति और समाज के बीच संतुलन का।"

ZBNF भारत के लिए एक ऐसा मॉडल है जो **कृषि उत्पादन, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक पुनर्निर्माण** के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, बल्कि **जलवायु परिवर्तन की चुनौती** से लड़ने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

यदि ZBNF को वैज्ञानिक अनुसंधान, बाजार समर्थन और नीतिगत संरक्षण के साथ जोड़ा जाए, तो यह भारत की **हरित क्रांति के बाद की दूसरी बड़ी क्रांति** साबित हो सकती है — एक **हरित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर क्रांति**।

e. विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत के प्रदर्शन को आप किस प्रकार देखते हैं?

भूमिका

"विकास तब सार्थक होता है जब वह केवल आय नहीं, **आत्म-संतोष और सामूहिक जीवन की गुणवत्ता** भी बढ़ाए।"

संयुक्त राष्ट्र समर्थित *World Happiness Report 2025* ने वैश्विक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता और नागरिकों की संतुष्टि के आधार पर देशों को रैंक किया है। भारत इस बार **118वें स्थान** पर है — जो कि पिछली रैंकिंग से मामूली सुधार है, लेकिन देश की **सभ्यतागत विरासत, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक संरचना** को देखते हुए यह स्थान चिंतन का विषय है।

1. रिपोर्ट की पद्धति (Methodology) – एक विश्लेषण

Cantril Ladder Method के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें नागरिकों से उनके जीवन को 0 से 10 के पैमाने पर आँकने को कहा जाता है। इस मूल्यांकन में निम्नलिखित छह संकेतकों पर ध्यान दिया जाता है:

संकेतक	भारत की स्थिति
प्रति व्यक्ति GDP	आर्थिक वृद्धि जारी, परंतु आय वितरण असमान।
सामाजिक सहयोग	संयुक्त परिवार, ग्रामीण सहयोगिता; परंतु शहरी अलगाव बढ़ रहा है।
स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा	राष्ट्रीय औसत में वृद्धि, किन्तु ग्रामीण-शहरी अंतर अभी भी गहरा।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता	लोकतांत्रिक ढाँचा सुदृढ़, किंतु <i>freedom of expression</i> पर सवाल।

उदारता (Generosity)	सांस्कृतिक रूप से गहराई में मौजूद, पर डेटा में प्रतिबिंब नहीं।
भ्रष्टाचार की धारणा	सरकारी संस्थानों पर विश्वास सीमित, प्रणालीगत पारदर्शिता की कमी।

अमूर्त कारकों की अनदेखी:

रिपोर्ट स्वयं स्वीकार करती है कि सामाजिक संबंध, सामुदायिक सौहार्द, परंपरागत जीवन पद्धति, और संतोष जैसे *soft factors* भी खुशहाली को तय करते हैं — लेकिन पद्धति इन्हें *सांख्यिकीय रूप में समाहित नहीं कर पाती*।

2. भारत के प्रदर्शन की समीक्षा

- **आर्थिक विकास के बावजूद**, यह विकास *सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, और मानसिक स्वास्थ्य* जैसे क्षेत्रों में समान रूप से नहीं परिलक्षित हो रहा है।
- **शहरीकरण के दबाव**, रोजगार की अनिश्चितता, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक असंतोष भी नागरिकों के मानसिक और सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं।
- **मध्य वर्ग और युवा पीढ़ी** में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने संतोष और सामुदायिक भावना को कमजोर किया है।

3. औपनिवेशिक मानसिकता और मूल्यांकन मॉडल की आलोचना

"भारत को आज भी पश्चिमी औद्योगिक कसौटियों पर परखा जा रहा है — जो इसके सांस्कृतिक आत्मबोध से मेल नहीं खाती।"

- भारत की **सामूहिकता-प्रधान संस्कृति, संतोषवादी दृष्टिकोण, और परंपरागत जीवन शैली** को *पश्चिमी वैयक्तिकतावादी मॉडल* समझ नहीं पाता।
- **खुशहाली की परिभाषा** जहाँ पश्चिम में **उपभोग, स्वतंत्रता और भौतिकता** से जुड़ी है, वहीं भारत में यह **ध्यान, योग, सामंजस्य और संतुलन** पर आधारित है।
- ऐसे मूल्यांकन मॉडल अभी भी पश्चिमी विश्वदृष्टि से नियंत्रित हैं, जिनमें *औपनिवेशिक मानसिकता* की छाया देखी जा सकती है — जो *अलाभकारी तुलना* को जन्म देती है।

4. भारत की पहलें और संभावनाएँ

क्षेत्र	प्रयास
नीति स्तर पर	<i>LiFE Mission, मनोधैर्य योजनाएँ, POSHAN अभियान</i>
सांस्कृतिक स्तर पर	योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का वैश्विक प्रसार
अंतरराष्ट्रीय मंच	G20 अध्यक्षता में "One Earth, One Family, One Future" जैसे मूल्यों की प्रस्तुति

इन पहलों से भारत न केवल अपने नागरिकों की जीवन गुणवत्ता सुधारने का प्रयास कर रहा है, बल्कि वैश्विक विमर्श में भी **वैकल्पिक विकास मॉडल** प्रस्तुत कर रहा है।

निष्कर्ष

"खुशहाली की हमारी परिभाषा हमें खुद ही गढ़नी होगी — न कि केवल दूसरों की कसौटी पर परखी जानी चाहिए।"

भारत की 118वीं रैंकिंग **एक चेतावनी** है कि भौतिक प्रगति के साथ-साथ **आत्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य** पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

यह **एक अवसर** भी है कि भारत *अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं* को दुनिया के सामने '*आंतरिक संतुलन और संतोष*' के वैकल्पिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करे।

आगे की राह में भारत को आवश्यकता है –

- खुशहाली के अपने मूल्य तय करने की,
- सांस्कृतिक पूँजी को पुनः आत्मसात करने की,
- और नीति व जनचेतना में जीवन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने की।

क्योंकि सच्ची खुशहाली आंकड़ों में नहीं — आत्मा की शांति और समाज की सहृदयता में होती है।

5.a क्वाड समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कितना सक्षम है? इस समूह के उद्देश्य क्या हैं? भारत की भूमिका के लिए आदर्श स्थिति क्या हो सकती है? अपना विचार दीजिए।

भूमिका

"हिंद-प्रशांत क्षेत्र आज विश्व राजनीति का केंद्रबिंदु बन चुका है, जहाँ शक्ति का संतुलन ही शांति का कारक है।"

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में हिंद-प्रशांत क्षेत्र एक ऐसा भू-राजनीतिक क्षेत्र है, जहाँ **व्यापारिक समुद्री मार्ग, सामरिक सुरक्षा, तकनीकी प्रभुत्व और शक्ति संतुलन** के बीच लगातार प्रतिस्पर्धा चल रही है। *क्वाड (QUAD – Quadrilateral Security Dialogue)* इसी संदर्भ में एक **रणनीतिक मंच** के रूप में उभरा है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देश सम्मिलित हैं।

1. क्वाड के प्रमुख उद्देश्य

उद्देश्य	विवरण
मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत	समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) को सुनिश्चित करना।

चीन के प्रभाव का संतुलन	दक्षिण चीन सागर, ताइवान, और लद्दाख जैसी संवेदनशील जगहों पर चीन की आक्रामकता का जवाब देना।
आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता	सूनामी, महामारी जैसी आपदाओं में त्वरित सहयोग।
आर्थिक और तकनीकी सहयोग	आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, 5G/6G, और क्वाड प्लस जैसे प्लेटफॉर्म पर सहयोग।
समुद्री सुरक्षा सहयोग	मालाबार नौसेना अभ्यास और समुद्री निगरानी में साझेदारी।
जलवायु और स्वास्थ्य सहयोग	वैक्सीन डिप्लोमेसी, ग्रीन एनर्जी, और स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

2. हिंद-प्रशांत में शांति स्थापना की क्षमता

(क) सामूहिक शक्ति संतुलन

चारों देशों की भिन्न-भिन्न क्षमताएँ (सैन्य, तकनीकी, भौगोलिक और रणनीतिक) मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता की मजबूत नींव रखती हैं।

(ख) वैकल्पिक मॉडल का निर्माण

चीन के *BR/* के मुकाबले QUAD एक अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक और टिकाऊ सहयोग मॉडल प्रस्तुत करता है।

(ग) समुद्री निगरानी और सुरक्षा तंत्र

नौसेना अभ्यास और सामूहिक निगरानी से समुद्री क्षेत्र में *नियम आधारित व्यवस्था* को बढ़ावा मिलता है।

(घ) सॉफ्ट पॉवर के माध्यम से सहयोग

कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन और मेडिकल सहयोग ने विकासशील देशों में विश्वास पैदा किया।

3. सीमाएँ और चुनौतियाँ

चुनौती	विवरण
सैन्य गठबंधन न होना	यह नाटो जैसा सुरक्षा समझौता नहीं, इसलिए आपसी रक्षा की कोई बाध्यता नहीं है।
रणनीतिक प्राथमिकताओं में भिन्नता	अमेरिका, जापान और भारत की चीन नीति अलग-अलग है।
चीन की आर्थिक उपस्थिति	सभी QUAD देश चीन के साथ आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो विरोध को जटिल बनाता है।

क्षेत्रीय संगठनों से समन्वय	ASEAN, IORA जैसी संस्थाओं के साथ स्पष्ट रणनीतिक तालमेल की कमी।
-----------------------------	--

4. भारत की भूमिका: चुनौतियाँ और संभावनाएँ

प्रमुख चुनौतियाँ

- **रणनीतिक अस्पष्टता:** सैन्य साझेदारी की स्पष्टता न होना भारत की सुरक्षा चिंताओं को अस्थिर करता है।
- **सीमा विवाद और चीन का दबाव:** भारत को आंतरिक सुरक्षा और बाहरी रणनीति में संतुलन बनाना होता है।
- **अमेरिका-रूस संतुलन:** भारत की रक्षा निर्भरता रूस पर बनी हुई है, जबकि QUAD में अमेरिका की प्रमुख भूमिका है।
- **ASEAN की शंकाएँ:** भारत को क्षेत्रीय देशों का विश्वास जीतना होगा कि QUAD टकराव का नहीं, सहयोग का मंच है।
- **प्रौद्योगिकी और संसाधन सीमाएँ:** डिजिटल, समुद्री और तकनीकी क्षेत्रों में भारत को क्षमता विस्तार की आवश्यकता है।

5. भारत के लिए आदर्श स्थिति

(1) रणनीतिक स्वायत्तता के साथ सक्रिय साझेदार

भारत को "Non-aligned but active" दृष्टिकोण अपनाना चाहिए — जहाँ वह सुरक्षा, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में सहभागी हो, परंतु गुटबद्धता से बचे।

(2) चीन के विरुद्ध संतुलित प्रतिस्पर्धा

भारत को सैन्य टकराव की जगह आपूर्ति श्रृंखला, निवेश और टेक्नोलॉजी के माध्यम से रणनीतिक विकल्प तैयार करने चाहिए।

(3) वैश्विक दक्षिण की आवाज

भारत को उन विकासशील देशों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनना चाहिए जो किसी शक्ति के अधीन नहीं होना चाहते। इससे भारत को *Soft Power Leader* की भूमिका मिलती है।

(4) "सेतु निर्माता" की भूमिका

भारत को QUAD और ASEAN, अमेरिका और रूस, वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच एक *संवाद सेतु* बनकर उभरना चाहिए।

(5) समुद्री नेतृत्व और SAGAR दृष्टिकोण

भारत को हिंद महासागर में *SAGAR (Security and Growth for All in the Region)* को काड रणनीति से जोड़ना चाहिए — जिससे भारत एक **क्षेत्रीय समुद्री शक्ति** बनकर उभरे।

(6) QUAD को सुरक्षा से विकास की ओर विस्तारित करना

भारत को QUAD को केवल रणनीतिक मंच न बनाकर स्वास्थ्य, जलवायु, शिक्षा और तकनीकी विकास का साझा मंच भी बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

"भारत को QUAD में केवल सहभागी नहीं, बल्कि पथ-प्रदर्शक बनना चाहिए — जो शक्ति के साथ संतुलन, और सुरक्षा के साथ सहयोग की बात करे।"

क्वाड समूह हिंद-प्रशांत में शांति, स्थायित्व और नियम आधारित व्यवस्था का मजबूत विकल्प है, लेकिन इसकी सफलता सदस्य देशों के दीर्घकालीन समन्वय, पारस्परिक विश्वास और व्यवहारिक नीतियों पर निर्भर करेगी।

भारत के लिए यह मंच केवल रणनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भर विदेश नीति को मूर्त रूप देने का अवसर है।

b. हाल ही के कुछ समय से भारत और कनाडा के रिश्ते में काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसके कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। वर्ष 2025 में कनाडा में आयोजित होने वाले जी-7 की बैठक का भारतीय संदर्भ में क्या महत्व है?

भूमिका

"कूटनीति का उद्देश्य संवाद को जीवित रखना होता है, परंतु जब राजनीतिक उद्देश्य राष्ट्रहित से टकराते हैं, तो संबंधों में तनाव अपरिहार्य हो जाता है।"

भारत और कनाडा दोनों लोकतांत्रिक मूल्य, बहुसांस्कृतिक समाज और संसदीय प्रणाली साझा करते हैं। दशकों से व्यापार, शिक्षा और प्रवासी समुदाय इन संबंधों की मजबूती रहे हैं।

लेकिन 2023-2024 के दौरान रिश्तों में भारी खटास आई, जिसने इन द्विपक्षीय संबंधों को न केवल राजनयिक स्तर पर, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक स्तर पर भी प्रभावित किया।

1. भारत-कनाडा तनाव के प्रमुख कारण

(क) खालिस्तानी गतिविधियाँ और भारत की सुरक्षा चिंताएँ

- कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक तत्व खुले रूप से भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं।
- भारतीय राजनयिकों को धमकियाँ, विरोध प्रदर्शन और हिंसा जैसी घटनाएँ चिंता का विषय बनीं।

(ख) हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड (सितंबर 2023)

- कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इस हत्या में संलिप्त होने का सार्वजनिक आरोप लगाया।
- भारत ने इसे राजनीति प्रेरित और प्रमाणहीन बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई व कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया।

(ग) कनाडा की घरेलू राजनीति में खालिस्तानी प्रभाव

- ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो जैसे प्रांतों में खालिस्तानी विचारधारा का राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है।
- इस कारण डूडो सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट और ठोस कदम उठाने से बचती रही है।

(घ) भारतीय मिशनों पर हमले और असहयोग

- भारतीय दूतावासों पर हमले और भारत विरोधी पोस्टर, झंडे आदि ने भारत की असहिष्णुता को और बढ़ाया।

2. तनाव के प्रभाव

(क) कूटनीतिक संबंधों में गिरावट

- दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया।
- उच्च स्तरीय वार्ताएं, समझौते और संवाद ठप पड़ गए।

(ख) व्यापारिक वार्ता और निवेश पर असर

- CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) की बातचीत स्थगित।
- भारत ने कनाडा से खाद्य आयात की निगरानी कड़ी की।
- व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और निवेश कार्यक्रमों पर विराम लगा।

(ग) प्रवासी भारतीय समुदाय पर प्रभाव

- 17 लाख+ भारतीय मूल के लोग कनाडा में बसे हैं, जिनमें कई छात्र और व्यापारी हैं।
- वीजा, कांसुलर सेवाएँ और सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बढ़ी।

(घ) रणनीतिक और बहुपक्षीय सहयोग बाधित

- जलवायु, विज्ञान, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय कार्यक्रम रुक गए।
- इंडो-पैसिफिक में साझेदारी भी प्रभावित हुई।

3. भारत की स्थिति और प्रतिक्रिया

- भारत ने साफ कहा कि "आतंकवाद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम देना अस्वीकार्य है।"
- कनाडा से चरमपंथी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम, और राजनयिक संतुलन की मांग की गई।
- भारत ने इस विषय को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाकर इसे एक वैश्विक सुरक्षा मुद्दा बनाने की कोशिश की।

4. G-7 सम्मेलन (2025, कनाडा) का भारत के लिए महत्व

(1) वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका का विस्तार

- भारत ने G-20 (2023) की सफल अध्यक्षता की है।
- G-7 सम्मेलन में आमंत्रण मिलने से भारत की वैश्विक नीति-निर्माण में भूमिका और मज़बूत होगी।

- यह भारत की कूटनीतिक स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक होगा।

(2) भारत-कनाडा संवाद की पुनर्स्थापना का अवसर

- G-7, एक ऐसा मंच बन सकता है जहाँ भारत और कनाडा के शीर्ष नेतृत्व के बीच औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत की संभावना हो।
- भारत G-7 का उपयोग बैकचैनल डिप्लोमेसी और संवाद के पुल बनाने में कर सकता है।

(3) हिंद-प्रशांत संदर्भ में भारत की केंद्रीय भूमिका

- QUAD, इंडो-पैसिफिक रणनीति, चीन का प्रतिरोध — ये G-7 के एजेंडे का हिस्सा होंगे।
- भारत इन विषयों पर सशक्त, विश्वसनीय और लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में उभर सकता है।

(4) जलवायु, डिजिटल और टेक्नोलॉजी नेतृत्व

- LiFE मिशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विषयों पर भारत का अनुभव बहुपक्षीय सहयोग को दिशा दे सकता है।
- भारत वैश्विक नीतियों में स्थायी विकास और जवाबदेह नवाचार की वकालत कर सकता है।

(5) Global South का प्रतिनिधित्व

- भारत, G-7 जैसे पश्चिमी मंचों पर विकासशील देशों की आवाज़ बन सकता है।
- ऋण राहत, जलवायु न्याय, स्वास्थ्य सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत Global South का नैतिक नेतृत्व कर सकता है।

निष्कर्ष

"G-7 जैसी बैठकों में आमंत्रण, भारत के लिए केवल कूटनीतिक अवसर नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व क्षमता की मान्यता है।"

2025 में कनाडा में होने वाला G-7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक बहुस्तरीय अवसर है —

जहाँ वह न केवल भारत-कनाडा संबंधों को संतुलन दे सकता है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को नीति निर्धारक, मध्यस्थ और प्रतिनिधिक के रूप में स्थापित कर सकता है।

यह सम्मेलन सौहार्द की पुनर्बहाली, रणनीतिक कूटनीति के प्रयोग और विश्व नीति में भारत की सशक्त उपस्थिति का आदर्श अवसर बन सकता है।

**6.a ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2036 में भारत की मेजबानी की संभावना और इसके महत्व की चर्चा कीजिए।
यह मेजबानी भारत को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार स्थापित करेगी?**

भूमिका

"ओलंपिक केवल खेल नहीं, एक राष्ट्र की वैश्विक पहचान और क्षमता का प्रदर्शन होते हैं।"

भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2036 की मेजबानी में रुचि जताकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में इस आशय की घोषणा से यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब केवल एक खेल प्रतिभा उत्पादक देश नहीं, बल्कि वैश्विक आयोजनों का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनना चाहता है। यह आयोजन न केवल खेल बल्कि कूटनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी परिचायक होगा।

1. मेजबानी की संभावना

आधार	विश्लेषण
राजनीतिक इच्छाशक्ति	प्रधानमंत्री द्वारा IOC में स्पष्ट घोषणा; सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता।
संभावित स्थल	अहमदाबाद का साबरमती रिवरफ्रंट क्षेत्र प्रस्तावित; योजना के अनुसार ओलंपिक सिटी का निर्माण।
आधारभूत ढाँचा	मेट्रो, हवाई अड्डे, स्टेडियम, स्मार्ट सिटी विकास तेज़ी से प्रगति पर हैं।
अंतरराष्ट्रीय समर्थन	भारत की जनसंख्या, युवाशक्ति और बाजार को देखते हुए IOC का दृष्टिकोण सकारात्मक।

2. ओलंपिक 2036 की मेजबानी का महत्व

(क) वैश्विक छवि और सॉफ्ट पावर में वृद्धि

- भारत को आयोजन क्षमता रखने वाले जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में पहचान मिलेगी।
- यह सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।

(ख) खेल संस्कृति का प्रसार

- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेलों के लिए संरचना, प्रशिक्षण और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- "खेलो इंडिया", "TOPS" जैसे कार्यक्रमों को वैश्विक समर्थन प्राप्त होगा।

(ग) आर्थिक और रोजगार सृजन

- निर्माण, परिवहन, होटल, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों में भारी निवेश और रोजगार संभावनाएँ उत्पन्न होंगी।
- विदेशी निवेश आकर्षित होगा और भारत वैश्विक व्यापारिक नक्शे पर और सशक्त दिखाई देगा।

(घ) सांस्कृतिक प्रचार और पर्यटन

- भारत की सांस्कृतिक विविधता, कला, परंपरा और इतिहास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने का सशक्त मंच मिलेगा।
- "इंफ्रेडिबल इंडिया" जैसी पहलों को वैश्विक दर्शक प्राप्त होंगे।

(ड) कूटनीतिक लाभ

- भारत G20 जैसी सफलताओं के बाद एक वैश्विक आयोजक के रूप में स्थापित होगा।
- इससे भारत की वैश्विक नेतृत्व की छवि और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भूमिका और सशक्त हो सकेगी।

3. संभावित चुनौतियाँ और समाधान

चुनौती	समाधान
बुनियादी ढाँचा	दीर्घकालिक योजना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल), और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विकास।
वित्तीय भार	बजट नियोजन में पारदर्शिता, लागत-प्रभावी निर्माण और सतत अवसंरचना पर ज़ोर।
प्रशासनिक समन्वय	एक केंद्रीकृत प्राधिकरण की स्थापना जो सभी एजेंसियों का समन्वय करे।
सुरक्षा	साइबर, आतंकी और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से निपटने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा ढाँचा।

4. भारत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में भूमिका

(1) उभरती महाशक्ति की छवि

- ओलंपिक की सफल मेजबानी भारत को आयोजन क्षमता रखने वाले राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में ला सकती है।

(2) सांस्कृतिक और खेल सॉफ्ट पावर

- पारंपरिक खेल, योग, क्रिकेट और सांस्कृतिक विविधता को विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

(3) अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में प्रभाव

- भारत की दावेदारी जैसे UN सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, IOC निर्णय मंच में भागीदारी को बल मिलेगा।

(4) डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत की ब्रांडिंग

- भारत "डिजिटल इंडिया" और "मेक इन इंडिया" के अंतर्गत तकनीकी नवाचार को प्रदर्शित कर सकेगा।

(5) वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व

- विकासशील देशों की ओर से भारत एक ऐसी आवाज बन सकता है जो समावेशिता, टिकाऊ विकास और न्याय की बात करता है।

निष्कर्ष

"भारत के लिए ओलंपिक की मेजबानी, केवल खेल नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की वैश्विक घोषणा होगी।"

2036 के ओलंपिक को भारत एक *राष्ट्रीय मिशन* के रूप में देख सकता है — जो विकास, समावेशिता और वैश्विक नेतृत्व की भावना को मूर्त रूप देता है।

यह आयोजन भारत को केवल "आयोजक" नहीं बल्कि "दिशा-निर्देशक राष्ट्र" के रूप में स्थापित कर सकता है, जहाँ संस्कृति, तकनीक, कूटनीति और नागरिक भागीदारी एक साथ परिलक्षित हों।

b. विकसित भारत @2047' भारत का विजन है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रमुख बाधाओं की चर्चा करें।

भूमिका

"जब लक्ष्य ऊँचा होता है, तो राह में चुनौतियाँ आना स्वाभाविक है — पर हर बाधा विकास की नई दिशा भी दे सकती है।"

भारत ने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वर्ष 2047 तक एक *समृद्ध, आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक नेतृत्वकर्ता* राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है, जिसे 'विकसित भारत @2047' के रूप में जाना जाता है। यह दृष्टि केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन, सुशासन और नवाचार पर आधारित है। किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक जटिल बाधाएँ हैं, जो विविध स्तरों पर कार्य करने की माँग करती हैं।

1. आर्थिक बाधाएँ

मुद्दा	विवरण
असमानता में वृद्धि	आय, संपत्ति, शिक्षा और डिजिटल पहुंच में क्षेत्रीय, वर्गीय और लैंगिक विषमता बढ़ रही है।
औद्योगिक उत्पादकता में गिरावट	MSME क्षेत्र असंगठित और तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है। नवाचार आधारित विकास अपर्याप्त है।
राजकोषीय असंतुलन	सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे के बीच वित्तीय संतुलन कठिन हो रहा है; टैक्स आधार सीमित है।

2. सामाजिक और जनसांख्यिकीय बाधाएँ

मुद्दा	विवरण
--------	-------

जनसंख्या का दबाव	संसाधनों पर अत्यधिक बोझ; शहरीकरण के दबाव से अवसंरचना पर तनाव।
शिक्षा की गुणवत्ता और कौशल अंतर	स्कूली शिक्षा में सीखने का स्तर, उच्च शिक्षा की प्रासंगिकता और कौशल प्रशिक्षण में अंतराल।
लैंगिक असमानता	महिला श्रमशक्ति भागीदारी कम; सामाजिक सोच और अवसर की विषमता अभी भी मौजूद।

3. पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी बाधाएँ

मुद्दा	विवरण
जलवायु परिवर्तन	सूखा, बाढ़, गर्मी और मानसून की अनिश्चितता कृषि और जीवन स्तर को प्रभावित कर रही है।
जल संकट	ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में पीने योग्य जल की उपलब्धता एक गंभीर समस्या है।
वायु और ध्वनि प्रदूषण	वैश्विक वायु प्रदूषण सूचकांक में भारत के कई शहर शीर्ष पर; स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव।

4. तकनीकी और नवाचार संबंधी बाधाएँ

मुद्दा	विवरण
डिजिटल असमानता	ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट, उपकरण और डिजिटल साक्षरता का असमान वितरण।
R&D में निवेश की कमी	GDP का लगभग 0.7% ही अनुसंधान और नवाचार पर व्यय; वैश्विक औसत से बहुत कम।
बौद्धिक संपदा और नवाचार संस्कृति	पेटेंट और शोध प्रकाशनों में भारत की स्थिति कमजोर है।

5. शासन और संस्थागत बाधाएँ

मुद्दा	विवरण
नीति कार्यान्वयन की कमी	योजनाओं की घोषणा के बावजूद ज़मीनी प्रभाव कम; निगरानी तंत्र कमजोर।
न्यायिक विलंब	करोड़ों मामले लंबित; न्याय प्रणाली पर भारी बोझ।
राजनीतिक अस्थिरता और ध्रुवीकरण	दीर्घकालिक विकास योजनाओं में निरंतरता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव।

6. सुरक्षा और भू-राजनीतिक बाधाएँ

मुद्दा	विवरण
सीमावर्ती तनाव और आतंकवाद	चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव; आंतरिक सुरक्षा पर दबाव।
साइबर खतरे	बढ़ते डिजिटल उपयोग के साथ साइबर हमलों और डेटा संरक्षण की आवश्यकता।

7. सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता से संबंधित बाधाएँ

मुद्दा	विवरण
सांप्रदायिकता और सामाजिक विभाजन	विविधता में एकता को बनाए रखना एक चुनौती; सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु सतत प्रयास आवश्यक।
आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का पिछड़ापन	मुख्यधारा से जुड़ाव और समावेशी विकास की आवश्यकता।

निष्कर्षात्मक विश्लेषण

‘विकसित भारत @2047’ का सपना केवल आर्थिक ऊँचाइयों तक सीमित नहीं है, यह एक *नवभारत के निर्माण की प्रक्रिया* है — जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता, समावेशी सोच और पारदर्शी शासन अनिवार्य हैं।

इन बाधाओं से निपटने के लिए भारत को चाहिए:

- दीर्घकालिक नीतियों की निरंतरता
- डेटा आधारित नीति निर्माण
- सामाजिक समरसता और सहिष्णुता का संवर्धन
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विशेष ध्यान
- शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही

उपसंहार

"2047 का सपना केवल सरकार का नहीं, हर नागरिक की भागीदारी और संकल्प से ही साकार होगा।"

भारत के पास युवा शक्ति, लोकतांत्रिक पूंजी, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक धरोहर जैसी विशेषताएँ हैं। यदि इन संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए और ऊपर वर्णित बाधाओं का समाधान रणनीतिक ढंग से किया जाए, तो ‘विकसित भारत @2047’ केवल एक सपना नहीं, बल्कि *भारत की वैश्विक पुनर्स्थापना* की गाथा बन सकती है।